रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2000/कार्तिक 3, 1922
No. 684] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2000/KARTIKA 3, 1922

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2000

का.आ. 955(अ).—केन्द्रीय सरकार का, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई इन सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि कच्चे जूट और जूट पैकेज सामग्री के उत्पादन तथा उसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 जुलाई, 1999 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 526(अ) तारीख 1 जुलाई, 1999 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि 25 अक्तूबर, 2000 से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं, पूर्ति या वितरण के लिए ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जो 25 अक्तूबर, 2000 से 30 जून, 2001 तक की अवधि के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट है, जूट पैकेज सामग्री में पैक की जाएगी।

अनुसूची

क्रम सं.	वस्तु	जूट पैकेज सामग्री में पैक किए जाने के लिए अपेक्षित वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के कुल उत्पादन की प्रतिशतता
1	2	3
1.	खाद्यान्न	शत प्रतिशत
2.	चीनी	शत प्रतिशत
3.	यूरिया	बीस प्रतिशत

जूट पैकेज सामग्री की पूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान आने की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय संबंधित प्रयोगकर्ता मंत्रालय के परामर्श से, इन उपबंधों में क्रमशः खाद्यान्न और चीनी के लिए 20% और यूरिया के लिए 5% तक की अधिकतम छूट दे सकता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार जूट पैकेज सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि खाद्यान्न और चीनी के संबंध में निर्यात पैकेज और 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों को इस आदेश के प्रवर्तन से छूट होगी।

[फा. सं. 9/2/2000-जूट]

टी. नंदकुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 25th October, 2000

S.O. 955(E).— Whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary so to do in the interests of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987, (10 of 1987), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles bearing S.O.No.526 (E) dated 1st July, 1999 published in the Gazette of India, Extra-ordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1st July, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that, w.e.f. the 25th October, 2000 the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column(3) of the said Schedule for the period from 25th October, 2000 to 30th June, 2001.

SCHEDULE

Sl.No.	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material.
(1)	(2)	(3)
1.	Foodgrains	Hundred Per cent
2.	Sugar	Hundred Per cent
3.	Urea	Twenty Per cent

In case of any disruption in supply of jute packaging material, Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministry concerned, relax these provisions upto a maximum of 20% for foodgrains and sugar and 5% for urea respectively.

Further, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987, (10 of 1987), the Central Government hereby directs that export packaging and small consumer packs of 5 kg and below in respect of foodgrains and sugar shall be exempted from the operation of this order.

[F. No. 9/2/2000-Jute]

T. NANDAKUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.